संख्या- 56/2015/1461/30-3-15-03बी/2015

प्रेषक,

नर्वेद सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनॉक 10 जुलाई, 2015

विषय- प्रदेश के पूर्व निर्मित सम्भागीय परिवहन कार्यालय-फैजाबाद में सारथी साफ्टवेयर आधारित स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिये हॉल के निर्माण हेतु संशोधित ड्राइंग का अनुमोदन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-1143ए/2015-17-नजारत/2013, दिनॉक 24-06-2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में पूर्व निर्मित सम्भागीय/उप सम्भागीय परिवहन कार्यालयों में सारथी साफ्टवेयर आधारित स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिये हॉल के निर्माण हेतु नक्शों के मानकीकरण एवं लागत के अनुमोदन के सम्बन्ध में निर्गत किये गये शासनादेश संख्या-3/2011/30-3-13-10बी/2013, दिनॉक 13-09-2013 में अनुमोदित ड्राइंग के अनुसार सम्भागीय परिवहन कार्यालय- फैजाबाद के परिसर में स्थानाभाव के कारण सारथी हॉल के निर्माण में आ रही बाधा के निवारण हेतु कार्यदायी संस्था-उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लि0 फैजाबाद के परियोजना प्रबन्धक द्वारा तैयार की गयी संशोधित ड्राइंग को वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनॉक 26-08-2014 में निहित निर्देशानुसार इस शर्त एवं प्रतिबन्ध के अधीन अनुमोदित किया जाता है कि सारथी हॉल के निर्माण हेतु मॉडल नक्शों के मानकीकरण तथा लागत के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-3/2011/30-3-13-10बी/2013, दिनॉक 13-09-2013 में निहित शेष शर्तों का अनुपालन यथावत सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,
ह0
(नर्वेद सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-56/2015/1461(1)/30-3-2015, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2- कार्यदायी संस्था-उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लि0 द्वारा परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0
(नर्वेद सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in